**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) कक्ष सं०–1, कन्नौज।**

**प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या–45/2026**

(CNR No–UPKJ01-000676-2026)

राज्य बनाम रामऔतार

मुकदमा अपराध संख्या–1351/2022

धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम

थाना–एंटी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज।

**दिनांक–14.03.2026**

पत्रावली पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम आख्या पर वादी मुकदमा की अनापत्ति के पश्चात आज दिनांक 14.03.2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत में आदेशार्थ पेश हुई।

उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत पुलिस अंतिम रिपोर्ट में वादी मुकदमा को नोटिस जारी की गई। विद्युत विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या 2499, दिनांकित 11.03.2026 में यह तथ्य उल्लिखित किया गया है कि इस मामले से सम्बन्धित समस्त शमनयोग्य समस्त धनराशि जमा हो चुकी है। अतः इस आपराधिक वाद को समाप्त करने में विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। विद्युत विभाग की उक्त रिपोर्ट की पुष्टि इस न्यायालय में कार्यरत विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई है। ऐसी स्थिति में वादी मुकदमा/सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति व केस डायरी एवं अन्य प्रपत्रों के परिशीलन के पश्चात **पुलिस अन्तिम रिपोर्ट संख्या 1125/2025 दिनांकित 14.09.2025** स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

वादी मुकदमा/सम्बन्धित विभाग की ओर से प्रस्तुत किये गए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में **पुलिस अन्तिम रिपोर्ट संख्या 1125/2025 दिनांकित 14.09.2025** स्वीकार की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधिनियम) कक्ष सं०–1, कन्नौज।
J.O.CODE–UP6489

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.03.14 12:44:19 IST
Reason: F,R Accepted in lok adalat
Location: A.District and Sessions Court
N0.1, Kannauj.